# कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश

संख्या 52021 / दस–लाइसेंस–58 /देशी शराब– थोक नियमावली/ 2018–2019
इलाहाबाद, 23 ,मार्च, 2018

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) की **धारा** 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 31276/दस–लाइसेंस–58/2002–2003, दिनांक 26 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक, बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली,2002 संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

## उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक, बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (दशम् संशोधन)नियमावली,2018

**1–संक्षिप्त नाम व प्रारंभ** **1–** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (दशम् संशोधन)नियमावली,2018 कही जायेगी ।

(2) यह नियमावली दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी।

**2–नियम–2 का संशोधन** **2–** उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली,2002, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में,दिये गये विद्यमान नियम–2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ।

| **स्तम्भ–1**<br>**विद्यमान नियम** | **स्तम्भ–2**<br>**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
|---|---|
| **2– परिभाषायें**<br>**जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,**<br>**(क) "अधिनियम"** का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है।<br>**(ख)" देशी शराब"** में ऐसी अल्कोहलीय सान्द्रता वाली तनु या तीव्र देशी स्प्रिट भी सम्मिलित है, जैसी समय–समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय ।<br>**(ग) "आबकारी वर्ष"** का तात्पर्य 1अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है ।<br>**(घ)"परिवार** "का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों से है | **2– परिभाषायें**<br>**जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,**<br>**(क) "अधिनियम"** का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;<br>**(ख)" देशी शराब"** में ऐसी अल्कोहलीय सान्द्रता वाली तनु या तीव्र देशी स्प्रिट भी सम्मिलित है, जैसी समय–समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय;<br>**(ग) "आबकारी वर्ष"** का तात्पर्य 1अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;<br>**(घ)"परिवार** "का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों से है और इसमें |

| | |
|---|---|
| और इसमें आश्रित माता–पिता सम्मिलितहैं । | आश्रित माता–पिता सम्मिलित हैं; |
| (ङ) **"प्रपत्र"** का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है । | (ङ) **"प्रपत्र"** का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है; |
| (च)**"लाइसेंस प्राधिकारी"** का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है । | (च)**"लाइसेंस प्राधिकारी"** का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है; |
| (छ) **"लाइसेंस फीस"** का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा–24 के अधीन देशी शराब के बिक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के प्रतिफल से है जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय, संदेय होगा । | (छ) **"लाइसेंस फीस"** का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा–24 के अधीन देशी शराब के बिक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के प्रतिफल से है जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय; |
| (ज) **"प्रतिभूति धनराशि"** का तात्पर्य उस धनराशि से है जो व्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में राजकीय कोषागार में नकद जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी । प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत होगी । | (ज) **"प्रतिभूति धनराशि"** का तात्पर्य उस धनराशि से है जो व्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में **अधिमानतः ई–भुगतान के माध्यम से** राजकीय कोषागार में **जमा की जायेगी** और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी। प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत होगी; |
| (झ) **"धरोहर धनराशि"** का तात्पर्य अनुज्ञापन शुल्क के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है जो आवेदन–पत्र के साथ, दिये गये प्रस्ताव की पूर्ति के लिये, दी जायेगी और विचलन की दशा में राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। | **(झ) निकाल दिया गया।** |
| (ञ) **"भागीदारी फर्म"** का तात्पर्य भागीदारी अधिनियम–1932 के अधीन पंजीकृत फर्म से है । | (ञ) **"भागीदारी फर्म"** का तात्पर्य भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत फर्म से है; |
| (ट) **"व्यक्ति "** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो 21 वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो। | (ट) **"व्यक्ति "** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है **जिसे लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन करने के समय पर इक्कीस** वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो; |
| (ठ) **"कम्पनी"** का तात्पर्य भरतीय कम्पनी अधिनियम,1965 की धारा 12 के अधीन पंजीकृत किसी कम्पनी से है । | (ठ) **"कम्पनी"** का तात्पर्य भरतीय कम्पनी अधिनियम,1965 की धारा 12 के अधीन पंजीकृत किसी कम्पनी से है; |
| (ड)**"कन्सोर्टियम"** का तात्पर्य किसी समान कार्य कलाप में भाग लेने अथवा समान उद्‌देश्य को प्राप्त करने हेतु अपने संसाधनों को एकीकृत करने के उद्‌देश्य से दो या दो से अधिक व्यक्तियों, कम्पनियों, भागीदारी फर्मो (अथवा इन इकाइयों की किसी भी | **(ड) निकाल दिया गया ।** |

| | |
|---|---|
| प्रकार की युति) के संगम से है । | (ढ़) **"अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क"** का तात्पर्य देशी शराब के आप्टिमम रिटेल प्राइस को **पॉच** रूपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है जो, आसवनी स्तर पर देय होगी। आसवनी द्वारा थोक आपूर्तक से एक्स डिस्टलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तक द्वारा **देशी शराब के** फुटकर अनुज्ञापी से अधिकतम् थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;<br>**(च)"पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर मदिरा निर्माण की प्रकिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोडेड करने के प्रयोजन से है;**<br>**(छ) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य थोक अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है;** |

**नियम–4 का संशोधन** **3–** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में, दिए गए विद्यमान नियम–4के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा,अर्थात :–

| **स्तम्भ–1**<br>**विद्यमान नियम** | **स्तम्भ–2**<br>**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
|---|---|
| **4–लाइसेंस की स्वीकृति**<br>(1) देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत ऐसे अधिकारी, जो उप आबकारी आयुक्त की श्रेणी से नीचे का न हो, इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस के भुगतान और प्रतिभूति धनराशि के जमा करने पर प्रत्येक जोन में प्रपत्र सी0एल0–1बी में आवेदक के राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि के साथ आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा। यह अनुज्ञापन अनुज्ञापी को जोन के प्रत्येक जनपद में सी0एल0–1सी0 अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिये अर्ह करता है।<br>**(2)**लाइसेंसधारी को, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तरित करने या शिकमी किराये पर देने की अनुमति न होगी। | **4–लाइसेंस की स्वीकृति**<br>**(1)** देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत ऐसे अधिकारी, जो इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार **लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस फीस के भुगतान और अधिमानतः ई–भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से** प्रतिभूति धनराशि के जमा करने पर प्रत्येक **जिले** में **प्रपत्र सी0एल0–2** में आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा।<br>**(2)**लाइसेंसधारी को, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तरित करने या शिकमी किराये पर देने की अनुमति न होगी। |

**नियम–5 का संशोधन**

**4–** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में, दिए गए विद्यमान नियम–5 के स्थान स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

| **स्तम्भ–1**<br>**विद्यमान नियम** | **स्तम्भ–2**<br>**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
|---|---|
| **5–लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन पत्र**<br><br>लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन–पत्र–लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजनार्थ विहित प्रारूप में किया जायेगा। | **5–लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन पत्र**<br><br>लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन **आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजनार्थ विहित प्रारूप में अधिमानतः आन लाइन किया जायेगा ।** |

**नियम–6 का संशोधन**

**5–** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम'–6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

| **स्तम्भ–1**<br>**विद्यमान नियम** | **स्तम्भ–2**<br>**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
|---|---|
| **6–अनुज्ञापन हेतु पात्रता**<br>**(1)**देशी शराब के थोक बिक्रय की दुकानों के लिये लाइसेंस, प्रत्येक जोन में निम्नलिखित को दिया जा सकेगाः–<br>**(क)** कन्सोर्टियम को छोड़कर कोई व्यक्ति, भागीदारी फर्म या कम्पनी पात्र होगी। कम्पनी के मामले में आर्टिकिल आफ एसोसियेशन, मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन एवं सर्टीफिकेट आफ इनकारपोरेशन, भागीदारी फर्म के मामले में पंजीकृत भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रतिलिप और किसी व्यक्ति के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मूल अधिवास प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। | **6–अनुज्ञापन हेतु पात्रता**<br>**(1)**देशी शराब के **थोक बिक्रय की दुकानों के लिये प्रत्येक जिला के लिये देशी शराब उत्पादक आसवनियों को दिया जा सकेगा।** |
| **(2)** आवेदक के पास चालू वर्ष को सम्मिलित करते हुये विगत तीन आबकारी वर्षों में से किसी एक आबकारी वर्ष में रूपये 400करोड़ का आवर्त होना चाहिए। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के आबकारी अथवा वाणिज्य विभागों के प्रदत्त प्रमाण–पत्र स्वीकार्य होगें। | **(2)** देशी शराब के थोक बिक्रय **की दुकानों के लिये प्रत्येक जिला के लिये एक या एक से अधिक संख्या में निम्नलिखित को भी दिया जा सकेगाः–**<br>**(क) भारत का नागरिक हों,**<br>**अथवा**<br>**भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हो, जों भारत के नागरिक हों,** |
| **(3)** आवेदक को मदिरा के थोक बिक्रय के अनुज्ञापी के रूप में अनुभव होना चाहिए, किन्तु वह अल्कोहल का उत्पादक अथवा मदिरा का निर्माता नहीं होना चाहिए। | **(3) निकाल दिया गया है ।** |
| **(4)** आवेदक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित | **(4) लाइसेंस प्रदान किये जाने के पश्चात् भागीदार में** |

| | |
|---|---|
| बैलेंशसीट व पैन नं0 भी प्रस्तुत करेगा ।<br>यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी यदि अन्यथा पात्र हो/हैं, लाइसेंस की शेष अवधि के लिये अनुज्ञापनधारी बने रह सकते है। | **कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, परन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी यदि पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिये अनुज्ञप्तिधारी बने रह सकते है। यदि संयुक्त रूप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक उत्तराधिकारी, यदि पात्र हो, के साथ अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी, यदि पात्र हो, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। दो भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों सम्मिलित रूप से तथा अलग–अलग उत्तरदायी होगें ।** |
| **(5)** आवेदक आबकारी राजस्व के बकायेदार या काली सूची में सम्मिलित न हो या अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। | **(5)** आवेदक आबकारी राजस्व का बकायेदार या काली सूची में सम्मिलित न हो या अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। |
| **(6)** आवेदक राज्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का कोई अनुज्ञापन नहीं रखता हो। | **(6)** आवेदक राज्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर **तथा माडल शाप** की फुटकर बिक्री की दुकानों का कोई अनुज्ञापन नहीं रखता हो। |
| **(7)** आवेदक को निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात् :– | **(7)** आवेदक को निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात् :– |
| **(एक)** यह कि समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है। | **(एक)** यह कि समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 **के उपबन्धों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है ।** |
| **(दो)** यह कि उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। | **(दो)** यह कि उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। |
| **(तीन)** यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों/कम्पनी के निदेशकों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है। | **(तीन)** यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों **और आसवनी के प्रबन्धकों/निदेशकों का नैतिक चरित्र अच्छा है** और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा किसी **अन्य** संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है। |
| **(चार)** यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने | **(चार)** यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने |

| | |
|---|---|
| की दशा में जिला जहॉ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है ।<br>**(पॉच)** यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला है।<br><br>**(छः)** यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है ।<br>**(सात)** यह कि वह ऋणशोधनक्षम, है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा। | की दशा में जिला जहॉ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस जारी होने **के पूर्व प्रस्तुत करेगा** कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक **इतिहास** नहीं है ।<br>**(पॉच)** यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता **या प्रतिनिधि** के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी **संक्रामक रोग** से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला है। **लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से प्राधिकृत बिक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**<br><br>**(छः)** यह कि उस पर कोई लोक **देयता** या राजकीय देयता का बकाया नहीं है ।<br>**(सात)** यह कि वह ऋणशोधनक्षम है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा। |

**नियम–7 का संशोधन–** **6–** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम'–7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

| **स्तम्भ–1**<br>**विद्यमान नियम** | **स्तम्भ–2**<br>**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
|---|---|
| **7– लाइसेंस का जारी किया जाना–**<br>लइसेंस सम्पूर्ण जोन के लिये सी0एल0–1बी प्रपत्र में होगा, किन्तु सी0एल0–1बी अनुज्ञाधारक को जोन के प्रत्येक जिले में सी0एल0–1सी अनुज्ञापन जैसा कि संलग्न है लेना होगा और यह राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि अदा करने पर देय होगा। | **7– लाइसेंस का जारी किया जाना–**<br>**लाइसेंस जिलावार सी0एल0–2 प्रपत्र में होगें और समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि अदा करने पर देय होगें।** |

**नियम–8 का संशोधन–** **7–** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम'–8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| **8–देशी शराब की आपूर्ति**<br>लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्ति आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम लगी निर्धारित धारिता की बोतलों में देशी शराब के अनुज्ञापित निर्माता आसवनियों या अन्य थोक दुकानों से आबकारी शुल्क या ऐसे अन्य शुल्कों, करो या उपकरो जो समय–समय पर उदग्रहणीय हो, के अग्रिम रूप से पूर्ण भुगतान के पश्चात् प्राप्त करेगा।<br><br>उत्तर प्रदेश की आसवनियों से मदिरा प्राप्ति की कठिनाई की स्थिति में यह अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त,उ0प्र0 की विशेष अनुमति से राज्य के बाहर की आसवनियों से प्रतिफल फीस का पूर्ण भुगतान करके देशी मदिरा आयात कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी आबकारी आयुक्त के कार्यालय में स्थित सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक इकाई से सुरक्षा होलोग्राम प्राप्त कर सम्बन्धित आसवनी ले जाकर बोतलों पर चस्पा करायेगा । | **8–देशी शराब की आपूर्ति**<br>लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्ति **आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की बोतलों में देशी शराब के अनुज्ञापित** निर्माता आसवनियों से आबकारी शुल्क या ऐसे अन्य शुल्कों, करो या उपकरो जो समय–समय पर उदग्रहणीय हो, के अग्रिम रूप से **ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् प्राप्त करेगा।**<br><br>उत्तर प्रदेश की आसवनियों से मदिरा प्राप्ति की कठिनाई की स्थिति में यह अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की विशेष अनुमति से राज्य के बाहर की आसवनियों से प्रतिफल फीस का पूर्ण भुगतान करके देशी मदिरा आयात कर सकेगा। **ऐसा** अनुज्ञप्तिधारी **आयातित देशी मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अनुप्रयोग के अनुसार सुरक्षा कोड चस्पा करने के उपरान्त बिक्री करेगा।** |

**नियम–10 का संशोधन–** 8– उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम'–10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| **10– देशी शराब की बिक्री हेतु क्षेत्र और पंजिकाओं का रखरखाव**<br>प्रपत्र सी0एल0–1सी में थोक विक्रय का अनुज्ञापी, अपने लाइसेंस की शर्तों के अधीन रहते हुए देशी शराब का विक्रय–<br>**(एक)** जिले के देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापियों को,<br>**(दो)** प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से, प्रभार के अन्य जनपदों के फुटकर व थोक अनुज्ञापियों को,<br>**(तीन)** जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से संबंधित जोन के और आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से प्रदेश के अन्य जनपदों के फुटकर और थोक विक्रय अनुज्ञापियों को करने के | **10– देशी शराब का बिक्री हेतु ण्क्षेत्र और पंजिकाओं का रखरखाव**<br>**प्रपत्र सी0एल0–2** में थोक विक्रय का अनुज्ञापी, अपनी लाइसेंस की शर्तों के अधीन रहते हुए देशी शराब का विक्रय–<br>**(एक)** जिले के देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापियों को,<br>**(दो)** प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से, प्रभार के अन्य **जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों को,**<br>**(तीन)** जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से संबंधित जोन के और आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से प्रदेश के अन्य **जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों को करने के हकदार होंगे ।** |

| | |
|---|---|
| हकदार होंगे । | |
| **(चार)** अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका, पास बुक, स्टाक रजिस्टर और अन्य अभिलेखों का रख–रखाव करेगा और लाइसेंस प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने वाली समस्त सूचनाओं और विवरणों को विहित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायेगा । | **(चार)** अनुज्ञापी, पंजिका, पास बुक, स्टाक रजिस्टर और अन्य अभिलेखों **को इलेक्ट्रानिक फारमेट में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश आबकारी आनलाइन पोर्टल पर** रख–रखाव करेगा और लाइसेंस प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **इलेक्ट्रानिक फार्मेट में** मांगे जाने वाली समस्त सूचनाओं और विवरणों को विहित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायेगा । |
| **(पॉच)** फुटकार विक्रेता द्वारा सभी शुल्कों, करो और उपकरों को सम्मिलित करते हुए देशी शराब के मूल्य के साथ प्रस्तुत किये गये मांग–पत्र के प्राप्त होने पर थोक विक्रेता अनुज्ञापी मांग–पत्रों पर उसके प्राप्त होने का दिनांक और समय अंकित करेगा और मांग–पत्र प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर देशी शराब जारी करने के लिए बाध्य होगा । उपरोक्तानुसार फुटकर अनुज्ञापी को आपूर्ति करने में विफल रहने की दशा में सम्बन्धित थोक विक्रेता अनुज्ञापी की प्रतिभूति धनराशि समपहृत किये जाने और उसका लाइसेन्स निरस्त किये जाने योग्य होगा । | **(पॉच)** फुटकर विक्रेता द्वारा सभी शुल्कों, करो और उपकरों को सम्मिलित करते हुए देशी शराब के मूल्य **अधिमानतः ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा मूल्य के साथ** प्रस्तुत किये गये मांग–पत्र के प्राप्त होने पर थोक विक्रेता अनुज्ञापी के मांग–पत्रों पर उसके प्राप्त होने का दिनांक और समय अंकित करेगा और मांग–पत्र प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर देशी शराब जारी करने के लिए बाध्य होगा । उपरोक्तानुसार फुटकर अनुज्ञापी को आपूर्ति करने में विफल रहने की दशा में सम्बन्धित थोक विक्रेता अनुज्ञापी की प्रतिभूति धनराशि समपहृत किये जाने और उसका लाइसेन्स निरस्त किये जाने योग्य होगा। **लाइसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति में उसे ब्लैक लिस्ट किया जायेगा तथा उसे अन्य आबकारी अनुज्ञापनों के धारण किये जाने से विवर्जित किया जायेगा।** |
| **(छः)** आसवनियों से या अन्य थोक विक्रय दुकानों से थोक विक्रय दुकान को समस्त आपूर्ति आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजनार्थ विहित परिवहन पास के माध्यम से होगी । अनुज्ञापी द्वारा प्राप्ति और सम्भरण की सभी प्रविष्टियां इस प्रयोजनार्थ विहित अभिलेखों में अंकित की जायेगी । | **(छः)** आसवनियों से थोक विक्रय दुकान को समस्त आपूर्ति आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजनार्थ विहित **इलेक्ट्रानिक जनित** परिवहन पास के माध्यम से होगी । अनुज्ञापी द्वारा प्राप्ति और सम्भरण की सभी प्रविष्टियां इस प्रयोजनार्थ विहित अभिलेखों में अंकित की जायेगी । |
| **(सात)** थोक विक्रय दुकान से प्रतिदिन दी गयी निकासी की प्रविष्टियां आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में अंकित की जायेगी । | **(सात)** थोक विक्रय दुकान से प्रतिदिन दी गयी निकासी की प्रविष्टियां आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में अंकित की जायेगी । |
| **(आठ)** प्रतिदिन के प्रारम्भिक अवशेष का लेखा, प्राप्ति, योग, विक्री तथा दिन के समापन अवशेष का सरांश आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में अनुरक्षित किया जायेगा। | **(आठ)** प्रतिदिन के प्रारम्भिक अवशेष का लेखा, प्राप्ति, योग, विक्री तथा दिन के समापन अवशेष का सरांश **इलेक्ट्रानिक फार्मेट** आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में अनुरक्षित किया जायेगा **तथा उत्तर प्रदेश आबकारी आन लाईन पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा ।** |
| **(नौ)** विहित तीव्रता की तीव्र या तनु देशी शराब की बिक्री केवल सुरक्षा होलोग्राम लगे मोहरबन्द बोतलों में उसी हालत में की जायेगी, जैसा कि वे आसवनी | **(नौ) विहित तीव्रता, आयतन, ब्राण्ड एवं पैकेजिंग के प्रकार (ग्लास/पेट बोतल)** की देशी शराब की बिक्री **आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित शुल्क के** |

| | |
|---|---|
| या अन्य थोक विक्रय दुकानों से प्राप्त की गयी हो। | **भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार सुरक्षा कोड लगी बोतलों में उसी हालत में की जायेगी जैसा कि आसवनी से प्राप्त की गयी हो।** |

**नियम–11 का संशोधन–** **9–** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम'–11 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

| **स्तम्भ–1**<br>**विद्यमान नियम** | **स्तम्भ–2**<br>**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
|---|---|
| **11–मदिरा की निकासी और परिवहन पास–**<br>**(एक)** थोक विक्रय की दुकान से देशी शराब प्राप्त करने वाली फुटकर दुकानों की समस्त निकासी की सम्यक प्रविष्टि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रेता के पास बुकों में की जानी चाहिए। पास बुक में की गई प्रविष्टि को थोक अनुज्ञापी द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत विक्रेता द्वारा अंकित व हस्ताक्षरित की जायेगी। थोक अनुज्ञापी देशी शराब के परिवहन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में परिवहन पास तैयार करेगा, परिवहन पास की प्रथम प्रति देशी शराब के क्रेता अनुज्ञापी को देगा और दूसरी प्रति सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को बिलम्बतम 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगा। परिवहन पास की तीसरी प्रति थोक अनुज्ञापी अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा। | **11–मदिरा की निकासी और परिवहन पास–**<br>**(एक)** थोक विक्रय की दुकान से देशी शराब प्राप्त करने वाली फुटकर दुकानों की समस्त निकासी की सम्यक प्रविष्टि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रेता के पास बुकों में की जानी चाहिए। पास बुक में की गई प्रविष्टि को थोक अनुज्ञापी द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत विक्रेता **जिनका सम्यक रूप से अनुमोदन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया गया हो, के** द्वारा अंकित व हस्ताक्षरित की जायेगी। थोक अनुज्ञापी देशी शराब के परिवहन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में **कम्प्यूटर जनित** परिवहन पास तैयार करेगा **तथा उत्तर प्रदेश आबकारी आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा।** परिवहन पास की प्रथम प्रति देशी शराब के क्रेता अनुज्ञापी को देगा और दूसरी प्रति सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को **नवीनतम चौबीस घण्टे** के अन्दर उपलब्ध करायेगा। परिवहन पास की तीसरी प्रति थोक अनुज्ञापी अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा। |
| **(दो)** अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित दैनिक दुकानवार रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित प्रारूप में मांग पत्रों और कुल निकासी का सामयिक विवरण जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित करेगा। प्रभार अथवा जोन के अन्य जनपदों के फुटकर या थोक विक्रय अनुज्ञापियों को निकासी देने के मामलों में उपर्युक्त विवरण की प्रति सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को भी विशेष वाहक से भेजेगा और उसकी रसीद प्राप्त करेगा। | **(दो)** अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित दैनिक दुकानवार रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित प्रारूप में मांग पत्रों और कुल निकासी का सामयिक विवरण जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित करेगा। प्रभार अथवा जोन के **अन्य जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों** को निकासी देने के मामलों में उपर्युक्त विवरण की प्रति सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को उसी दिन भेजेगा और उसकी रसीद प्राप्त करेगा **तथा उसे उत्तर प्रदेश आबकारी आनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। लाइसेंसधारी अभिलेखों में प्रविष्टियों को मिटाने के लिये अधिलेखन तथा सुधारात्मक द्रव्य का प्रयोग नहीं करेगा।** |

**नियम–14 का संशोधन–**

**10–** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| **विद्यमान नियम** | **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
| **14– अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का उत्तरदायित्व–**<br>थोक अनुज्ञापी स्वयं या उसके विक्रेता द्वारा लेखों, पंजिकाओं व अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता व प्रमाणिकता के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होगा और वह त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के कारण हुई राजस्व की क्षति की भरपाई के लिये उत्तरदायी होगा । | **14– अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का उत्तरदायित्व–**<br>थोक अनुज्ञापी स्वयं या उसके विक्रेता द्वारा **इलेक्ट्रानिक माध्यम से** लेखों, पंजिकाओं व अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता व प्रमाणिकता के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होगा और वह त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के कारण हुई राजस्व की क्षति की भरपाई के लिये उत्तरदायी होगा । |

**नियम–15 का संशोधन–**

**11–** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| **15–मदिरा का संचय और निषेध–**<br>**(क)**थोक अनुज्ञापी देशी शराब का संचय केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा ।<br>**(ख)** थोक विक्रय अनुज्ञापी को मदिरा को तनु, ब्लेन्ड या रंजित करने अथवा कोई रंजक, सुगंध या होलोग्राम अपने अनुज्ञापित परिसर में रखने की अनुमति नहीं है ।<br>**(ग)**लाइसेंस का संचालन अनुज्ञापी द्वारा स्वयं अथवा अपने अधिकृत विक्रेता के माध्यम से किया जायेगा। अनुज्ञापी या उसके अधिकृत विक्रेता द्वारा इस नियमावली के प्राविधानों के उल्लंघन अथवा अनियमितता के लिये उत्तरदायी होगा। | **15–मदिरा का संचय और निषेध–**<br>**(क)**थोक अनुज्ञापी देशी शराब का संचय केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा ।<br>**(ख)** थोक विक्रय अनुज्ञापी को देशी मदिरा को तनु, ब्लेन्ड या रंजित करने अथवा कोई रंजक, सुगंध या **सुरक्षा कोड** अपने अनुज्ञापित परिसर में रखने की अनुमति नहीं है ।<br>**(ग)** लाइसेंस का संचालन अनुज्ञापी द्वारा स्वयं अथवा अपने **प्राधिकृत** विक्रेता **जिसका सम्यक रूप से अनुमोदन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया गया हो, के माध्यम से किया जायेगा।** अनुज्ञापी या उसके **प्राधिकृत** विक्रेता द्वारा इस नियमावली के उल्लंघन अथवा अनियमितता के लिये उत्तरदायी होगा। |

**नियम–16 का संशोधन–** **12–** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम'–16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| --- | --- |
| **16– निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियां–**<br>**(1)** लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति धनराशि को समपहृत कर सकता है–<br>**(क)** यदि अनुज्ञापित परिसर में देशी शराब की कोई बोतल या पात्र पायी जाये जिसपर आबकारी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिसपर आबकारी अभिकर भुगतान के प्रमाण स्वरूप आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित सिक्योरिटी होलोग्राम नहीं लगा है । | **16– निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियां–**<br>**(1)** लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति धनराशि को समपहृत कर सकता है–<br>**(क)** यदि अनुज्ञापित परिसर में देशी शराब की कोई बोतल या पात्र पायी जाये जिसपर आबकारी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिसपर **आबकारी विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार सुरक्षा कोड नहीं लगा है।** |
| **(ख)** यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि पायी जाती है जिसके लिये कोई अनुज्ञापन या लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है ।<br>**(ग)** यदि अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापियों से लिया जाता है।<br>**(घ)** यदि अनुज्ञापित परिसर में अनधिकृत रूप से कोई होलोग्राम, स्प्रिट, रंग, एसेन्स आदि पाया जाता है।<br>**(ङ)** यदि अनुज्ञापी द्वारा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविष्टियां की गयी है जिससे परिणामस्वरूप राजस्व की क्षति हुई है ।<br>**(च)** यदि यह प्रमाण मिलता है कि थोक लाइसेंस को–शिकमी किरायेदारी (Sublet) पर दिया गया है।<br>**(छ)** यदि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के विरूद्ध अनुज्ञापी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है ।<br>**(ज)** यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ–पत्र असत्य पाया जाता है या आवेदन–पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें | **(ख)** यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि पायी जाती है जिसके लिये कोई अनुज्ञापन या लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है ।<br>**(ग)** यदि अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापियों से लिया जाता है।<br>**(घ)** यदि अनुज्ञापित परिसर में अनधिकृत रूप से कोई स्प्रिट, रंग, एसेन्स या **सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र** आदि पाया जाता है।<br>**(ङ)** यदि अनुज्ञापी द्वारा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविष्टियां की गयी है जिससे परिणामस्वरूप राजस्व की क्षति हुई है ।<br>**(च)** यदि यह प्रमाण मिलता है कि थोक लाइसेंस को–शिकमी किरायेदारी (Sublet) पर **या अंतरित किया** गया है।<br>**(छ)** यदि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के विरूद्ध अनुज्ञापी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है ।<br>**(ज)** यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ–पत्र असत्य पाया जाता है या आवेदन–पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन |

| | |
|---|---|
| किया गया कथन असत्य पाया जाता है।<br>**(झ)** यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञापन फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या अनुज्ञापी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अनुज्ञापन धारण किये हुये है।<br>**(त)** यदि अनुज्ञापी देशी शराब की आपूर्ति हेतु मूल्य सहित, जिसमें अभिकर व अन्य शुल्क व कर सम्मिलित हैं, मांग पत्र प्राप्त होने के 48 घण्टे के अन्दर देशी शराब की आपूर्ति करने में विफल रहता है। | असत्य पाया जाता है।<br>**(झ)** यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञापन फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या अनुज्ञापी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अनुज्ञापन धारण किये हुये है।<br>**(त)** यदि अनुज्ञापी **मांग की गई तीव्रता, मात्रा, ब्राण्ड व पैकेजिंग के अनुसार, मूल्य सहित,** जिसमें अभिकर व अन्य शुल्क व **उदग्रहित** कर सम्मिलित हैं, **अधिमानतः ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा कर** मांग पत्र प्राप्त होने के 48 घण्टे के अन्दर देशी शराब की आपूर्ति करने में विफल रहता है।<br>**(थ) यदि अनुज्ञापी अनुज्ञा–पत्र में उल्लिखित किसी शर्त का उल्लंघन करता है ।** |
| **(2)** उप खण्ड–1 में उल्लिखित अनियमितताओं के पाये जाने के मामले में, लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस को निलम्बित कर देगा और लाइसेंस को रद्द किये जाने तथा प्रतिभूति धनराशि का समपहृत करने के लिये कारण बताओं नोटिस जारी करेगा। आपत्तियों पर विचार करने और लाइसेंसी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर यदि चाहे प्रदान करते हुये लाइसेंस प्राधिकारी उपयुक्त आदेश, जैसा वह ठिक समझे पारित करेगा।<br>**(3)** लाइसेंस प्राधिकारी उप नियम–(2) की प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् अनुज्ञापी द्वारा या उसके विक्रेता द्वारा की गयी किसी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि या अनियमितताओं के द्वारा हुये आबकारी राजस्व की क्षति की प्रतिपूर्ति भी अनुज्ञापी से वसूल करेगा। | **(2)** उप खण्ड–1 में उल्लिखित अनियमितताओं के पाये जाने के मामले में, लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस को निलम्बित कर देगा और लाइसेंस को रद्द किये जाने तथा प्रतिभूति धनराशि को समपहृत करने के लिये कारण बताओं नोटिस जारी करेगा। आपत्तियों पर विचार करने और लाइसेंसी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर यदि चाहे प्रदान करते हुये लाइसेंस प्राधिकारी उपयुक्त आदेश, जैसा वह ठीक समझे पारित करेगा।<br>**(3)** लाइसेंस प्राधिकारी उप नियम–(2) की प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् अनुज्ञापी द्वारा या उसके विक्रेता द्वारा की गयी किसी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि या अनियमितताओं के द्वारा हुये आबकारी राजस्व की क्षति की प्रतिपूर्ति भी अनुज्ञापी से वसूल करेगा। |

**प्रपत्र दे0श0–1सी का संशोधन** **13**–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र दे0श0–1सी के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थातः–

| **स्तम्भ–1** | **स्तम्भ–2** |
|---|---|
| **विद्यमान प्रपत्र** | **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र** |
| **<u>अनुसूची–क</u>**<br>**(2) दे0श0–1सी**<br>**(किसी जिले में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु अनुज्ञापन)** | **प्रपत्र दे0श0–2**<br>**जिला में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु अनुज्ञापन**<br>**( नियम–2(ङ) )** |

**(नियम–2(ङ))**

1–अनुज्ञापन संख्या.................................................

2–जिला.........................................................................

3–अनुज्ञापनधारी  का नाम............................................

4– सी0एल0–1बी अनुज्ञापन की संख्या

और तिथि......................................................................

5–अनुज्ञापन शुल्क (रुपये में)......................................................

(बैंक ड्राफ्ट संख्या/दिनांक, बैंक का नाम  शाखा सहित)

6–प्रतिभूति जमा.........................................................................

(बैंक ड्राफ्ट संख्या/दिनांक, बैंक का नाम शाखा सहित)

7–अनुज्ञापन परिसर की प्रास्थिति

स्थान और मकान संख्या..........................................................

तहसील..........................................पुलिस थाना.......................

उत्तर.............................................दक्षिण...................................

पूरब...............................................पश्चिम...................................

8–विक्रेता के नाम

1.

2.

3.

| **आवेदक का फोटो** | **सह आवेदक का फोटो** |
|---|---|

| **अनुज्ञप्त परिसर का फोटो** |
|---|

**सी0एल0–2 गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....................................**

1–अनुज्ञापन संख्या...........................................

2–जिला.............................................................................

3–अनुज्ञापनधारी  का नाम व पूरा पता एवं आधार नम्बर .

..........................................................................................

4– सी0एल0–2 अनुज्ञापन की संख्या

और तिथि.............................................................................

5–अनुज्ञापन शुल्क (रुपये में)...................................(अंक में)

.............................................(शब्द में)

6–प्रतिभूति जमा (रूपये में).......................................(अंक में)

..............................(शब्द में)

7–**अनुज्ञप्त परिसर का विवरण**

स्थान और मकान संख्या............................................

पुलिस थाना...............................................तहसील.....................

उत्तर..............................................दक्षिण...................................

पूरब..............................................पश्चिम...................................

8–**प्राधिकृत विक्रेता/विक्रेताओं के नाम, पता तथा आधार संख्या**

1.

2.

3.

| | |
|---|---|
| 4. | 4. |
| 25 प्रतिशत वी/वी की मसालेदार (विशेष श्रेणी) देशी शराब की 200मि0ली0 क्षमता की बोतलों में, 36 प्रतिशत वी/वी की मसालेदार देशी शराब की 750 मि0ली0, 375 मि0ली0, 250 मि0ली0, 200 मि0ली0, और 100 मि0ली0 क्षमता की बोतलों में, 28 प्रतिशत वी/वी की मसालेदार/ सादा देशी शराब की 750 मि0ली0, 375 मि0ली0, 250 मि0ली0, 200 मि0ली0, 150 मि0ली0 और 100 मि0ली0 क्षमता की बोतलों में तथा 42.8 प्रतिशत वी/वी की तीव्र मसालेदार देशी शराब की 750 मि0ली0, 375 मि0ली0, 250 मि0ली0, 200 मि0ली0, 180 मि0ली0 और 100 मि0ली0 क्षमता की बोतलों में थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, जिला ....................................में.............................................. .......(स्थान) पुलिस थाना ..........................तहसील............................के लिये दिनांक ................से 31 मार्च, 20.............. तक के लिये, जिसके लिये नियम–7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) को स्वीकृत किया जाता है। | 25 प्रतिशत वी/वी की **सादा एवं** मसालेदार देशी शराब की 200मि0ली0 क्षमता की बोतलों में, 36 प्रतिशत वी/वी की मसालेदार देशी शराब की 200 मि0ली0 क्षमता की बोतलों में, तथा 42.8 प्रतिशत वी/वी की तीव्र मसालेदार देशी शराब की 200 मि0ली0 क्षमता की बोतलों में थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, जिला...........................में...... ................................................(स्थान) पुलिस थाना ................... ......तहसील...........................के लिये दिनांक ................से 31 मार्च, 20............... तक के लिये, जिसके लिये नियम–7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) को स्वीकृत किया जाता है। |
| यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तो के अध्यधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा नियम–16 में प्राविधानों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्व होने पर लाइसेंस धारक/लाइसेंसधारकों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी। | यह **अनुज्ञा–पत्र** निम्नलिखित निबन्धन व शर्तो के अध्यधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा नियम–16 में प्राविधानों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्व होने पर **अनुज्ञापी का अनुज्ञा–पत्र** निरस्त कर दिया जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी। |
| **निबंधन एवं शर्ते** | **निबंधन एवं शर्ते** |
| 1. अनुज्ञापी देशी शराब का उठान मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क जमा करने के पश्चात् अनुज्ञापित देशी मदिरा निर्माता आसवनी अथवा किसी अन्य थोक अनुज्ञापी से करेगा। प्रदेश की आसवनियों से आपूर्ति की कठिनाई की स्थिति में वह आबकारी आयुक्त की अनुमति से भारत के दूसरे राज्यों से देशी मदिरा का आयात पूर्ण शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् कर सकेगा। ऐसे लाइसेंसधारी द्वारा आबकारी आयुक्त, कार्यालय में स्थित होलोग्राम आपूर्तक से होलोग्राम प्राप्त कर निर्यातकर्ता राज्य के आसवनी से आयात की जा रही मदिरा की बोतलों पर चस्पा कराया जायेगा। | 1. अनुज्ञापी देशी शराब का उठान मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क का भुगतान **ई पेमेन्ट के माध्यम से** करने के पश्चात् अनुज्ञापित देशी मदिरा निर्माता आसवनी से करेगा। उत्तर प्रदेश की आसवनियों से मदिरा प्राप्ति की कठिनाई की स्थिति में यह अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की विशेष अनुमति से राज्य के बाहर की आसवनियों से प्रतिफल फीस का पूर्ण भुगतान **ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से** करके देशी मदिरा आयात कर सकेगा। **ऐसा** अनुज्ञप्तिधारी **आयातित देशी मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अनुप्रयोग के अनुसार सुरक्षा कोड चस्पा करने के उपरान्त बिक्री करेगा।** |
| 2. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित देशी शराब के विहित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य, फुटकर लाइसेंस धारकों से प्रभारित नहीं करेगा। | 2. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित देशी शराब के विहित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य **एवं यथानिर्धारित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के** |

| | |
|---|---|
| | **अलावा कोई अन्य धनराशि** फुटकर लाइसेंस धारकों से प्रभारित नहीं करेगा। |
| 3. थोक विक्रय अनुज्ञापी अपने लाइसेंस की शर्तो के उपबंधों के अधीन देशी शराब का विक्रय जिले के फुटकर या थोक अनुज्ञापियों को या अन्य जिलों के फुटकर व थोक अनुज्ञापियों को नियम–10 के उप खण्ड (1), (2) व (3) के उपबंधों के अनुसार करेगा। | 3. थोक विक्रय अनुज्ञापी अपने लाइसेंस की शर्तो के उपबंधों के अधीन देशी शराब का विक्रय जिले के फुटकर अनुज्ञापियों को या अन्य जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों को नियम–10 के उप खण्ड (1), (2) व (3) के उपबंधों के अनुसार करेगा।<br>करेगा। |
| 4. थोक विक्रेता को देशी शराब की आपूर्ति पी0डी0–25अ के अधीन होगी। ऐसे समस्त निकासियों के पास और अभिलेखों को विहित पंजिका में अनुरक्षित रखा जायेगा। | 4. थोक विक्रेता को देशी शराब की आपूर्ति पी0डी0–25अ **पास** के अधीन होगी। ऐसी समस्त निकासियों के **कम्प्यूटर जनित** पास और अभिलेखों को विहित पंजिका में अनुरक्षित रखा जायेगा। |
| 5. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में फुटकर विक्रेता से प्राप्त समस्त मांग पत्रों की प्रविष्टि करेगा, जिसमें फुटकर लाइसेंसधारी की मांग, मांग–पत्र प्राप्ति का समय व दिनांक और आपूर्ति की गयी मात्रा सम्मिलित होगी। | 5. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में फुटकर विक्रेता से प्राप्त समस्त मांग पत्रों की प्रविष्टि करेगा, जिसमें फुटकर लाइसेंसधारी की मांग, मांग–पत्र प्राप्ति का समय व दिनांक और आपूर्ति की गयी मात्रा सम्मिलित होगी, **और ऐसी सूचनाओं को उ0प्र0 आबकारी आनलाईन डाट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।** |
| 6. अनुज्ञापी अथवा अनुज्ञापी का प्राधिकृत विक्रेता, फुटकर विक्रेता को प्रति दिन देशी शराब की निकासी की प्रविष्टि विहित विक्रय पंजिका व फुटकर विक्रेता की पासबुक में प्रविष्टि की जायेगी। | 6. अनुज्ञापी अथवा अनुज्ञापी का प्राधिकृत विक्रेता, फुटकर विक्रेता को प्रति दिन देशी शराब की निकासी की प्रविष्टि विहित विक्रय पंजिका व फुटकर विक्रेता की पासबुक में प्रविष्टि की जायेगी **तथा जिसे यथानिर्धारित एम.आई.एस. (मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम) के माध्यम से उ0प्र0 आबकारी आनलाईन डाट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।** |
| 7. देशी शराब के प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्ति, बिक्री तथा बंद होने के अधिशेष का दिन प्रतिदिन का विवरण स्टाक रजिस्टर में अनुरक्षित रखा जायेगा। | 7. देशी शराब के प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्ति, बिक्री तथा बंद होने के अधिशेष का दिन प्रतिदिन का विवरण स्टाक रजिस्टर में **प्रतिदिन** अनुरक्षित रखा जायेगा। |
| 8. अनुज्ञापी प्रतिफल शुल्क और अन्य करों आदि को सम्मिलित करते हुये देशी शराब की लागत के साथ मांग पत्र की प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर देशी शराब की आपूर्ति देने के लिये बाध्य होगा। अनुज्ञापी को देशी शराब आपूर्ति करने में असफल होने की दशा में उसकी प्रतिभूति निक्षेप जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापन निरस्त होने योग्य होगा। | 8. **अनुज्ञापी प्रतिफल शुल्क और अन्य करों आदि को सम्मिलित करते हुये देशी शराब की लागत के साथ मांग पत्र की प्राप्ति के अड़तालिस घंटे के अन्दर देशी शराब की आपूर्ति नियमावली 2002 के निबंधन एवं शर्तें के नियम–8 के अन्तर्गत देने के लिये बाध्य होगा। अनुज्ञापी को देशी शराब आपूर्ति करने में असफल होने की दशा में उसकी प्रतिभूति निक्षेप जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापन निरस्त होने योग्य होगा।** |
| 9. अनुज्ञापी प्राप्त दैनिक मांग पत्रों का दुकानवार रजिस्टर और मांग पत्रों के सम्बन्ध में की गयी कुल निकासी का विवरण अनुरक्षित करेगा। | 9. अनुज्ञापी प्राप्त दैनिक मांग पत्रों का दुकानवार रजिस्टर और मांग पत्रों के सम्बन्ध में की गयी कुल निकासी का विवरण अनुरक्षित करेगा **तथा आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।** |

| | |
|---|---|
| 10. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारुप पर नियम–11 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन पास तैयार करेगा और जारी करेगा। जिसमें फुटकर विक्रेता का नाम, निकासी का दिनांक,क्रय की गयी मात्रा व प्रतिफल शुल्क अंकित होगा। | 10. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारुप पर नियम–11 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन पास **कम्प्यूटर जनित जारी करेगा,** जिसमें फुटकर विक्रेता का नाम, निकासी का दिनांक **तथा समय,** क्रय की गयी मात्रा व प्रतिफल शुल्क अंकित होगा। |
| 11. देशी शराब का संचय केवल अनुज्ञापित परिसर में ही किया जायेगा। | 11. देशी शराब का संचय केवल अनुज्ञापित परिसर में ही किया जायेगा। |
| 12. अनुज्ञापी अनुज्ञापित परिसर में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम लगी देशी शराब की बोतलें ही रखेगा व कोई अन्य मादक मदिरा या मादक औषधि अनुज्ञापित परिसर में नहीं रखी जायेगी। | 12. अनुज्ञापी अनुज्ञापित परिसर में **आबकारी विभाग** द्वारा अनुमोदित **सुरक्षा कोड चस्पा** देशी शराब की बोतलें ही रखेगा व कोई अन्य मादक मदिरा या मादक औषधि अनुज्ञापित परिसर में नहीं रखी जायेगी। |
| 13. अनुज्ञापी अपने कब्जे में कोई अप्राधिकृत मदिरा या मादक औषधि नहीं रखेगा। | 13. अनुज्ञापी अपने कब्जे में कोई अप्राधिकृत मदिरा या मादक औषधि नहीं रखेगा। |
| 14. थोक विक्रेता को शराब अथवा किसी अन्य प्रकार की मदिरा की भराई बोतलों में करने, ब्लेन्ड या रंजित करने की अनुमति नहीं है, और वह अपने कब्जे में इस प्रयोजनार्थ कोई उपकरण नहीं रखेगा। | 14. थोक विक्रेता को शराब अथवा किसी अन्य प्रकार की मदिरा की भराई बोतलों में करने, ब्लेन्ड या रंजित करने की अनुमति नहीं है, और वह अपने कब्जे में इस प्रयोजनार्थ कोई उपकरण नहीं रखेगा। |
| 15. अनुज्ञापी अनुज्ञापित परिसर में रखी बोतलों पर लेबुल, कैप्सूल सील व सुरक्षा होलोग्राम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। | 15. अनुज्ञापी अनुज्ञापित परिसर में रखी बोतलों पर लेबुल, कैप्सूल सील व **सुरक्षा कोड चस्पा से** कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। |
| 16. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिवस को छोड़कर बिक्रय के लिये सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रखेगा। | 16. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिवस को छोड़कर बिक्रय के लिये **प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे** तक खुला रखेगा। **लाइसेंस प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी किया–कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त उल्लिखित कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।** |
| 17. अनुज्ञापी दुकान के प्रवेश द्वार पर स्थित सुस्पष्ट सूचना पट्ट पर अनुज्ञापी का नाम, अनुज्ञापित दुकान की स्थिति, लाइसेंस की अवधि तथा अन्य सूचना जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गयी हो, मोटे अक्षरों में अंकित करेगा। | 17. अनुज्ञापी दुकान के प्रवेश द्वार पर **आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित** सुस्पष्ट सूचना पट्ट पर अनुज्ञापी का नाम, अनुज्ञापित दुकान की स्थिति, लाइसेंस की अवधि तथा अन्य सूचना जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गयी हो, मोटे अक्षरों में अंकित करेगा। **साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः–**<br>**"अनुज्ञप्त परिसर के बाहर आस–पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"** |
| 18. अनुज्ञापी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त संभव सहायता प्रदान करेगा और समस्त दस्तावेज और | 18. अनुज्ञापी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त |

| | |
|---|---|
| अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।<br><br>19. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर यथा निर्गत ऐसे अन्य सामान्य या विशिष्ट आदेशों का पालन करेगा। | संभव सहायता प्रदान करेगा और समस्त दस्तावेज और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।<br>19. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर यथा निर्गत ऐसे अन्य सामान्य या विशिष्ट आदेशों का पालन करेगा।<br><br>**20. लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रुप में सेवायोजित नहीं करेगा जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ –छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ–भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**<br><br>**21– अनुज्ञापी को अनुज्ञप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।**<br>**22– अनुज्ञापी को गोदाम के परिसर में अग्नि शमन यंत्र लगाये जाने के अलावा सुरक्षा प्रणाली के लिसे आवश्यक व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा।**<br>**23– आसवनियों एवं अन्य प्रदेश की आसवनियों से देशी मदिरा के परेषण के परिवहन हेतु ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम युक्त वाहनों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।**<br>**24– लाइसेंसधारी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर एवं माडल शाप का कोई फुटकर अनज्ञापन धारण नहीं करेगा।**<br>**25– दुकानवार, धारिता व तीव्रतावार/ब्राण्डवार तथा पैकेजिंगवार पेट/कांच की बोतलों के उठान का विवरण यथानिर्धारित पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।**<br>**26– थोक आपूर्तक सभी प्रचलित ब्राण्ड की पर्याप्त मात्रा बिक्री हेतु स्टाक में रखेगा।**<br>**27– फुटकर अनुज्ञापियों के मांगपत्र का निस्तारण प्रथम आगत प्रथम पावत (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड) सिद्वान्त के अनुसार किया जायेगा।**<br>**28– अनुज्ञापी कम से कम एक सप्ताह के स्टाक के समतुल्य मदिरा का संचय करेगा।**<br>**29– अनुज्ञापी द्वारा विक्रय की जाने वाली मदिरा के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट प्लेटफार्म यथा–डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, आर0टी0जी0एस0, एन0ई0एफ0टी0 एवं अन्य इसी प्रकार के माध्यमों के साथ–साथ नकद रुप में कराई जायेगी।**<br>**30– अनुज्ञापी अभिलेखों के रख–रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।**<br>**31– अनुज्ञप्त गोदाम का फोटो, अक्षांश/देशान्तर,चौहद्दी** |

| | |
|---|---|
| दिनांकः...................... <br><br> लाइसेंस प्राधिकारी, <br> आबकारी आयुक्त, <br> उत्तर प्रदेश। | **एवं विक्रेताओं का नाम व पता अनुज्ञा पत्र पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त चस्पा/अंकित कर एक सप्ताह के भीतर अनुज्ञा पत्र की सत्यापित छायाप्रति आयुक्तालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।** <br><br> दिनांकः...................... <br><br> लाइसेंस प्राधिकारी, <br> आबकारी आयुक्त, <br> उत्तर प्रदेश। |

**प्रपत्र दे0श0–1बी का निकाला जाना**

**14**–उक्त नियमावली में, निम्नलिखित प्रपत्र दे0श0–1बी निकाल दी जायेगी।

| | |
|---|---|
| **<u>अनुसूची–क</u>** <br> **(1)–प्रपत्र दे0श0–1बी** <br> **<u>(जोन में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु अनुज्ञापन)</u>** <br> खनियम–2(ङ), <br><br> यह अनुज्ञापन श्री/मे0........................................................ <br> पता............................................. <br> कार्यालय का पता...............................को............................जोन में देशी शराब की थोक बिक्री के लिये निम्नानुसार लाइसेंस फीस की अदायगी– <br><br> 1– ...... अनुज्ञापन स्वीकृति के समय <br> 2– ............ 30–06.......... तक <br> 3– ................ 30.09...............तक <br> और प्रतिभूति धनराशि ................. पर................................ ..................से.........................................तक के लिए दिया जाता है । अनुज्ञापी जोन के समस्त जनपदों में रु0............ व रु0... ............की अदायगी पर सी0एल0–1सी0 अनुज्ञापन प्रात करने के लिए अर्ह व बाध्य होगा । यदि वह असफल होता है, तो धरोहर राशि रु0.................. लाख राज्य के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी । <br> दिनांक.................................. <br> लाइसेंस प्राधिकारी, <br> आबकारी आयुक्त, <br> उत्तर प्रदेश | **निकाल दिया गया।** |

**(धीरज साहू)**
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।